16/3/25

पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेन्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्तला होकर दिनांक 22/4/25 को पेश हो।

22/4/25

पत्रावली पेश बार एसोसियशन में कन्डोलेन्स ....कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इत्तला होकर दिनांक 24/4/25 ....को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 04.06.2025 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये है। परन्तु वकील प्रार्थी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक तलबी नहीं कराई है तथा ना ही साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक करवाई गई है। चूंकि प्रकरण हाजा सम्मरी प्रोसेडिंग का है, जिनके निस्तारण के लिए समय सीमा 3 माह की अवधि निर्धारित है।

अतः प्रार्थी अधीन धारा 212 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत अप्रार्थीगण की तामील किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश–9 नियम–5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।

(दिव्या सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां